प्राथमिकता
संख्या–1483 / 12–3–2016–

प्रेषक,

प्रदीप भटनागर,
कृषि उत्पादन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

2– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग–3 लखनऊ:: दिनांक: 25 नवम्बर, 2016

विषयः– विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्रदेश के किसानों को सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु डी0बी0टी0 योजना के प्रभावी अनुश्रवण के संबंध में।

महोदय,

कृषि विभाग द्वारा संचालित डायरेक्ट बेनीफिट ट्रान्सफर (डी0बी0टी0) योजना राज्य सरकार के विकास एजेण्डा का एक महत्वपूर्ण अंग है। विभिन्न जनपदों में आयोजित रबी गोष्ठियों में किसानों द्वारा कोषागार में डी0बी0टी0 के अन्तर्गत भुगतान अत्यधिक लम्बित होने की स्थिति से अवगत कराया गया है, जो किसानों के हित में उचित नहीं है।

2– अतः व्यापक जनहित में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद/मण्डल स्तर पर आयोजित की जाने वाली विभिन्न बैठकों में कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी किसानों को डी0बी0टी0 के माध्यम से उनके खातें में धनराशि के भुगतान के बिन्दु को अपने एजेण्डा में सम्मिलित कर लें। जनपद एवं मण्डल स्तर पर कृषि विभाग एवं कोषागार के अधिकारियों के साथ इस बिन्दु की नियमित व गम्भीरता से समीक्षा की जाए तथा कृषक लाभार्थियों के डी.बी.टी. के अन्तर्गत कोषागार में बिल प्रेषित करने के दिनांक से अधिकतम तीन दिन में भुगतान सुनिश्चित कराया जाय।

भवदीय,

(प्रदीप भटनागर)
कृषि उत्पादन आयुक्त।

संख्या– (1)/12–3–2016–तद्दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1)– प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
(2)– निदेशक, कृषि, कृषि भवन, उ0प्र0 लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि कृषि विभाग के जनपदीय कार्यालयों में किसान द्वारा क्रय के उपरांत अधिकतम पांच कार्य दिवस में कोषागार में बिल प्रस्तुत करने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
(3)– निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
(4)– निजी सचिव, प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन को प्रमुख सचिव के अवगतार्थ।

आज्ञा से,

(ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

Surat note do go 8